

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री महेश कुमार शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण आयुक्त.परिवहन विभाग.जयपुर से मुख्य अभियंता.सार्वजनिक निर्माण विभाग.जयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री महेश कुमार शर्मा द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री महेश कुमार शर्मा को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री महेश कुमार शर्मा को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 15.02.2018 मध्याह्न पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री महेश कुमार शर्मा नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री महेश कुमार शर्मा को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

दिनांक:- 15/02/2018

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2458-2526

प्रतिलिपि:-

1 मुख्य अभियंता.सार्वजनिक निर्माण विभाग.जयपुर।

2 आयुक्त.परिवहन विभाग.जयपुर।

3 श्री महेश कुमार शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय आयुक्त.परिवहन विभाग.जयपुर।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री कु० बबीता शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण कोषाधिकारी (शहर).कोष एवं लेखा विभाग.जयपुर से कोषाधिकारी (पेंशन).कोष एवं लेखा विभाग.जयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री कु० बबीता शर्मा द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री कु० बबीता शर्मा को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री कु० बबीता शर्मा को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 15.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री कु० बबीता शर्मा नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री कु० बबीता शर्मा को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2458-2538
प्रतिलिपि:-

दिनांक:- 15/02/2018

1 कोषाधिकारी (शहर).कोष एवं लेखा विभाग.जयपुर।

2 कोषाधिकारी (पेंशन).कोष एवं लेखा विभाग.जयपुर।

3 श्री कु० बबीता शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय कोषाधिकारी (शहर).कोष एवं लेखा विभाग.जयपुर।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री कुमारी आशा आयलदास, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण प्रधान मुख्य वन संरक्षक.वन विभाग.जयपुर से निदेशक.पशुपालन विभाग.जयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री कुमारी आशा आयलदास द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री कुमारी आशा आयलदास को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री कुमारी आशा आयलदास को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 15.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री कुमारी आशा आयलदास नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री कुमारी आशा आयलदास को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2458-2528
प्रतिलिपि:-

दिनांक:- 15.02.2018

1 प्रधान मुख्य वन संरक्षक.वन विभाग.जयपुर।

2 निदेशक.पशुपालन विभाग.जयपुर।

3 श्रीकुमारी आशा आयलदास, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक.वन विभाग.जयपुर।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कर्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री कैलाश चन्द गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण कोषाधिकारी (शहर).कोष एवं लेखा विभाग.जयपुर से निदेशक.कोष एवं लेखा विभाग.जयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री कैलाश चन्द गुप्ता द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री कैलाश चन्द गुप्ता को निदेशालय की वेबसाइट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री कैलाश चन्द गुप्ता को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 15.02.2018** **मध्याह्न पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री कैलाश चन्द गुप्ता नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री कैलाश चन्द गुप्ता को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2458-2528

दिनांक:- 15-02-2018

प्रतिलिपि:-

- 1 कोषाधिकारी (शहर).कोष एवं लेखा विभाग.जयपुर।
- 2 निदेशक.कोष एवं लेखा विभाग.जयपुर।
- 3 श्रीकैलाश चन्द गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय कोषाधिकारी (शहर).कोष एवं लेखा विभाग.जयपुर।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-।।

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री गणपत सिंह जाट, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण निदेशक.स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग.जयपुर से निदेशक.राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद (एक्स काडर).जयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री गणपत सिंह जाट द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री गणपत सिंह जाट को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री गणपत सिंह जाट को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 15.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री गणपत सिंह जाट नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री गणपत सिंह जाट को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।


(मंजुला वर्मा)

निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-।। 2458-2528

प्रतिलिपि:-

दिनांक:- 15.02.2018

- 1 निदेशक.स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग.जयपुर।
- 2 निदेशक.राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद (एक्स काडर).जयपुर।
- 3 श्रीगणपत सिंह जाट, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय निदेशक.स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग.जयपुर।


(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-।।)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री गिरधारी लाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण निदेशक.चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग.जयपुर से कोषाधिकारी (सचिवालय).कोष एवं लेखा विभाग.जयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री गिरधारी लाल द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री गिरधारी लाल को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री गिरधारी लाल को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 15.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री गिरधारी लाल नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री गिरधारी लाल को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2458-2528

प्रतिलिपि:-

दिनांक:- 15.02.2018

1 निदेशक.चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग.जयपुर।

2 कोषाधिकारी (सचिवालय).कोष एवं लेखा विभाग.जयपुर।

3 श्रीगिरधारी लाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय निदेशक.चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग.जयपुर।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री चन्दभान गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण निदेशक.स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग.जयपुर से कोषाधिकारी (शहर).कोष एवं लेखा विभाग.जयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री चन्दभान गुप्ता द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री चन्दभान गुप्ता को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री चन्दभान गुप्ता को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 15.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री चन्दभान गुप्ता नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री चन्दभान गुप्ता को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2458-2528
प्रतिलिपि:-

दिनांक:- 15.02.2018

1 निदेशक.स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग.जयपुर।

2 कोषाधिकारी (शहर).कोष एवं लेखा विभाग.जयपुर।

3 श्रीचन्दभान गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय निदेशक.स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग.जयपुर।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री तिलकराज अजमेरा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण सचिव.जयपुर विकास प्राधिकरण (एक्स काडर).जयपुर से निदेशक.समेकित बाल विकास सेवाएं .जयपुर में किया गया था किन्तु देशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री तिलकराज अजमेरा द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री तिलकराज अजमेरा को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री तिलकराज अजमेरा को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 15.02.2018**

मध्याह्न पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री

तिलकराज अजमेरा नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री तिलकराज अजमेरा को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2458-2528

दिनांक:- 15.02.2018

प्रतिलिपि:-

1 सचिव.जयपुर विकास प्राधिकरण (एक्स काडर).जयपुर।

2 निदेशक.समेकित बाल विकास सेवाएं .जयपुर।

3 श्री तिलकराज अजमेरा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय सचिव.जयपुर विकास प्राधिकरण (एक्स काडर).जयपुर।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री तुलसीदास कालरा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण पंजीयक.सहकारिता विभाग.जयपुर से निदेशक.समेकित बाल विकास सेवाएं .जयपुर में किया गया था किन्तु देशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री तुलसीदास कालरा द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री तुलसीदास कालरा को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री तुलसीदास कालरा को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 15.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री तुलसीदास कालरा नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री तुलसीदास कालरा को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2458-2528
प्रतिलिपि:-

दिनांक:- 15.02.18

1 पंजीयक.सहकारिता विभाग.जयपुर।

2 निदेशक.समेकित बाल विकास सेवाएं .जयपुर।

3 श्री तुलसीदास कालरा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय पंजीयक.सहकारिता विभाग.जयपुर।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री दीनदयाल गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण निदेशक.पशुपालन विभाग.जयपुर से कोषाधिकारी (पेंशन).कोष एवं लेखा विभाग.जयपुर में किया गया था किन्तु देशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री दीनदयाल गुप्ता द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री दीनदयाल गुप्ता को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री दीनदयाल गुप्ता को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 15.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री दीनदयाल गुप्ता नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री दीनदयाल गुप्ता को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2458-2528
प्रतिलिपि:-

दिनांक:- 15.02.18

1 निदेशक.पशुपालन विभाग.जयपुर।

2 कोषाधिकारी (पेंशन).कोष एवं लेखा विभाग.जयपुर।

3 श्री दीनदयाल गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय निदेशक.पशुपालन विभाग.जयपुर।


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैंक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री दीपक शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण कोषाधिकारी (ग्रामीण).कोष एवं लेखा विभाग.जयपुर से जन जाति क्षेत्रीय विकास विभाग.सचिवालय.जयपुर में किया गया था किन्तु देशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री दीपक शर्मा द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री दीपक शर्मा को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री दीपक शर्मा को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 15.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री दीपक शर्मा नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री दीपक शर्मा को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2458-2528
प्रतिलिपि:-

दिनांक:- 15.02.2018

1 कोषाधिकारी (ग्रामीण).कोष एवं लेखा विभाग.जयपुर।

2 जन जाति क्षेत्रीय विकास विभाग.सचिवालय.जयपुर।

3 श्री दीपक शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय कोषाधिकारी (ग्रामीण).कोष एवं लेखा विभाग.जयपुर।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री नगेन्द्र पारीक , सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण सचिव.राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद.जयपुर से पंजीयक.सहकारिता विभाग.जयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री नगेन्द्र पारीक द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री नगेन्द्र पारीक को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री नगेन्द्र पारीक को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 15.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री नगेन्द्र पारीक नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री नगेन्द्र पारीक को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2458-2528

दिनांक:- 15.02.2018

प्रतिलिपि:-

- 1 पंजीयक.सहकारिता विभाग.जयपुर।
- 2 सचिव.राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद.जयपुर।
- 3 श्री नगेन्द्र पारीक , सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय सचिव.राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद.जयपुर ।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री नरेश कुमार हेमराजानी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण मुख्य अभियन्ता, मुख्यालय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर से मुख्य नगर नियोजक.नगर नियोजन विभाग.जयपुर में किया गया था किन्तु देशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री नरेश कुमार हेमराजानी द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री नरेश कुमार हेमराजानी को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री नरेश कुमार हेमराजानी को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 15.02.2018** **मध्याह्न पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री नरेश कुमार हेमराजानी नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री नरेश कुमार हेमराजानी को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2458-2528

दिनांक:- 15.02.2018

प्रतिलिपि:-

- 1 मुख्य नगर नियोजक.नगर नियोजन विभाग.जयपुर।
- 2 मुख्य अभियन्ता, मुख्यालय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
- 3 श्री नरेश कुमार हेमराजानी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय मुख्य अभियन्ता, मुख्यालय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर ।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री नरेश व्यास, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण निदेशक.कृषि विपणन विभाग.जयपुर से निदेशक.मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग.जयपुर में किया गया था किन्तु देशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री नरेश व्यास द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री नरेश व्यास को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री नरेश व्यास को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 15.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री नरेश व्यास नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री नरेश व्यास को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2458-2528
प्रतिलिपि:-

दिनांक:- 15.02.2018

1 निदेशक.मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग.जयपुर।

2 निदेशक.कृषि विपणन विभाग.जयपुर।

3 श्री नरेश व्यास, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय निदेशक.कृषि विपणन विभाग.जयपुर।


(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री निरंजन कुमार चौधरी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण आयुक्त.परिवहन विभाग.जयपुर से निदेशक.कृषि विपणन विभाग.जयपुर में किया गया था किन्तु देशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री निरंजन कुमार चौधरी द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री निरंजन कुमार चौधरी को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री निरंजन कुमार चौधरी को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 15.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री निरंजन कुमार चौधरी नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री निरंजन कुमार चौधरी को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

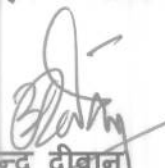
क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2458-2528
प्रतिलिपि:-

दिनांक:- 15.02.18

1 निदेशक.कृषि विपणन विभाग.जयपुर।

2 आयुक्त.परिवहन विभाग.जयपुर।

3 श्री निरंजन कुमार चौधरी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय आयुक्त.परिवहन विभाग.जयपुर।


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री निर्मल कुमार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण उपकोषालय वृद्धावस्था पेंशन, जयपुर से प्रबन्ध निदेशक.राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन (एक्स काडर).जयपुर में किया गया था किन्तु देशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री निर्मल कुमार द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री निर्मल कुमार को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री निर्मल कुमार को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 15.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री निर्मल कुमार नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री निर्मल कुमार को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।


(मंजुला वर्मा)

निदेशक

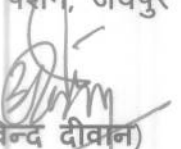
क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2458-2528
प्रतिलिपि:-

दिनांक:- 15.02.18

1 प्रबन्ध निदेशक.राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन (एक्स काडर).जयपुर।

2 उपकोषालय वृद्धावस्था पेंशन, जयपुर।

3 श्री निर्मल कुमार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय उपकोषालय वृद्धावस्था पेंशन, जयपुर।


(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री सुभाष चन्द धमनिया, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण प्रभारी भौतिक सत्यापन दल .निरीक्षण विभाग.जयपुर से आयुक्त.आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग.जयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री सुभाष चन्द धमनिया द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री सुभाष चन्द धमनिया को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री सुभाष चन्द धमनिया को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 15.02.2018** **मध्याह्न पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री सुभाष चन्द धमनिया नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री सुभाष चन्द धमनिया को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।


(मंजुला वर्मा)

निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2458-2528

दिनांक:- 15.02.2018

प्रतिलिपि:-

- 1 आयुक्त.आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग.जयपुर।
- 2 प्रभारी भौतिक सत्यापन दल .निरीक्षण विभाग.जयपुर।
- 3 श्री सुभाष चन्द धमनिया, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय प्रभारी भौतिक सत्यापन दल .निरीक्षण विभाग.जयपुर ।


(अरविन्द धीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री मनोज बन्शीवाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण कार्मिक (क-4) विभाग सचिवालय.सचिवालय.जयपुर से राजकोम्प ईन्फो सर्विसेज लिमिटेड.राजकोम्प ईन्फो सर्विसेज लिमिटेड.जयपुर में किया गया था किन्तु देशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री मनोज बन्शीवाल द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री मनोज बन्शीवाल को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री मनोज बन्शीवाल को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 15.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री मनोज बन्शीवाल नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री मनोज बन्शीवाल को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2458-2528

दिनांक:- 15.02.2018

प्रतिलिपि:-

- 1 राजकोम्प ईन्फो सर्विसेज लिमिटेड.राजकोम्प ईन्फो सर्विसेज लिमिटेड.जयपुर।
- 2 कार्मिक (क-4) विभाग सचिवालय.सचिवालय.जयपुर।
- 3 श्री मनोज बन्शीवाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय कार्मिक (क-4) विभाग सचिवालय.सचिवालय.जयपुर।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री हरिकिशन मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण राजकोम्प ईन्फो सर्विसेज लिमिटेड.राजकोम्प ईन्फो सर्विसेज लिमिटेड.जयपुर से निदेशक.महात्मा गांधी नरेगा.जयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री हरिकिशन मीणा द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री हरिकिशन मीणा को निदेशालय की वेबसाइट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री हरिकिशन मीणा को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 15.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री हरिकिशन मीणा नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री हरिकिशन मीणा को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2458-2528

दिनांक:- 15.02.2018

प्रतिलिपि:-

1 निदेशक.महात्मा गांधी नरेगा.जयपुर।

2 राजकोम्प ईन्फो सर्विसेज लिमिटेड.राजकोम्प ईन्फो सर्विसेज लिमिटेड.जयपुर।

3 श्री हरिकिशन मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय राजकोम्प ईन्फो सर्विसेज लिमिटेड.राजकोम्प ईन्फो सर्विसेज लिमिटेड.जयपुर।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री हनुमान लाल जाट, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण आयुक्त. मिड डे मील. जयपुर से आयुक्त.वाणिज्यिक कर विभाग.जयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री हनुमान लाल जाट द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री हनुमान लाल जाट को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री हनुमान लाल जाट को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 15.02.2018** **मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री हनुमान लाल जाट नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री हनुमान लाल जाट को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2458-2528
प्रतिलिपि:-

दिनांक:- 15.02.2018

1 आयुक्त.वाणिज्यिक कर विभाग.जयपुर।

2 आयुक्त. मिड डे मील. जयपुर।

3 श्री हनुमान लाल जाट, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय आयुक्त. मिड डे मील. जयपुर।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)